

ग्रामीण सेवा शिविर - 2025, ग्राम पंचायत : खिलीपिन

फार्म नं.- III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीविजयनगर

महेन्द्र सिंह


बनाम

सरकार

नम्बर264. सन् 2025

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025 / 344.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
26/1/25	<p>प्रार्थी की ओर से शिविर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का / भू.अ.नि. / नायब तहसीलदार / तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा दुरुस्ती किए जाने की अनुशंसा की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक <u>128.000</u> खाता सं. <u>16142,85</u> में <u>रु. 3.036</u> का शत प्रतिशत <u>श्री कल देव कृषि श्रमि</u> <u>3.036 रु. अन्वयण</u> के स्थान पर <u>रु. 3.036 रु. अन्वयण</u> <u>कृषि श्रमि की रु. 3.036 रु. खाता</u> में <u>इस कर</u> की दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की तहरीर पृथक से जारी हो।</p> <p>निर्णय मजमा-ए-आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	
	<p style="text-align: right;">  शकुन्तला उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर </p>	